

..... बनाम

किस्म मुकदमा मुकदमा नम्बर सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
०९/०५/२५	<p>अधिवक्ता उमचपद उप। प्रकरण में रेषी. के समन पैरा करने हेतु अधिवक्ता अपीलान्ट श्री रूर्ग में उर् अक्सर दिये जाने के बावजूद अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा आज दिनांक पैरी तक समन पैरा नहीं किये गये हैं। अधिवक्ता अपीलान्ट का उपरोक्त कृत्य न्यायालय के आदेशों की अवहेलना में परिलक्षित होता है। अतः न्यायालय के आदेशों की अवहेलना किये जाने के फलस्वरूप पत्रावली अक्षम तकमील में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दायित्व दुषर हो</p> <p><i>[Signature]</i></p>	